

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5089

जिसका उत्तर 02 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

एससीसीएल को कोयला ब्लॉक आवंटन

5089. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलंगाना सरकार ने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) को कोई प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बिजली की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयागुडेम ब्लॉक-III, सथुपल्ली ब्लॉक- III के आवंटन के अलावा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 11ए/17 (ए) (2) के अंतर्गत तेलंगाना राज्य में गोदावरी वैली कोल फील्ड (जीवीसीएफ) सहित एससीसीएल द्वारा चिह्नित किए गए पीके ओसी II डिप साइड ब्लॉक और अन्य ब्लॉकों के आवंटन का अनुरोध किया गया ताकि राज्य की बिजली की आवश्यकता को पूरा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : जी हां। कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए अपनाई गई नीति के अनुसार, अब कोयले की बिक्री के लिए नीलामी के माध्यम से सभी कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जा रहा है।

कोयागुडेम ब्लॉक-III की नीलामी के तीसरे राउंड के दूसरे प्रयास के अंतर्गत मैसर्स ऑरो कोल प्राइवेट लिमिटेड को सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। सफल बोलीदाता ने निहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया है और 13 मार्च, 2023 को समाप्ति नोटिस जारी किया गया है। मामला न्यायाधीन है।

सतुपल्ली ब्लॉक-III की नीलामी के छठे राउंड के दूसरे प्रयास के अंतर्गत मैसर्स श्री अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर्स (आई) लिमिटेड को सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। कोयला खदान विकास और उत्पादन समझौते (सीएमडीपीए) पर 8 जनवरी 2024 को हस्ताक्षर किए गए हैं। तथापि, निधान आदेश जारी नहीं किया गया है क्योंकि सफल बोलीदाता ने निहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया है। मामला न्यायाधीन है।

इसके अलावा, पीके ओसी-II डिप साइड कोयला ब्लॉक की नीलामी हेतु पेशकश कभी भी नहीं की गई।
